HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gauradevi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
E-mail : msukpcb@yahoo.com

Ref. No.: UKPCB/HO/Gen-183-770/2024/ 684, Date: 17.08.2024

BY E-MAIL

To,

The Registrar General
Hon'ble National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi
Email: judicial-ngt@gov.in

Sub.: Factual Report of Joint Committee constituted in the matter of Original Application No. 199 of 2024 titled as "Swami Omkarananda Dharma Samsthan through its AR Dr. Anupam Vaid Versus State of Uttarakhand & Ors." - reg.

Sir,

Kindly refer to the order dated 30.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal in the matter of **Original Application No. 199 of 2024 titled as "Swami Omkarananda Dharma Samsthan through its AD Dr. Anupam Vaid Versus State of Uttarakhand & Ors."**. In Compliance of order passed by the Hon'ble NGT, please find enclosed herewith Factual Report of Joint Committee constituted in the matter.

You are requested to kindly take Factual Report on record and place before the Hon'ble Tribunal for kind consideration please.

Encl.: As above.

Sincerely Yours'

(Dr. Parag Madhukar Dhakate)
Member Secretary

Copy to: Following for kind information and necessary action please.

1. Shri Mukesh Verma, Advocate & Counsel for Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun.
2. Additional Secretary, Department of Environment Conservation & Climate Change, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3. Regional Officer, UKPCB, Regional Office, Dehradun.

मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–199 / 2024 Swami Omkarananda Dharma Sansthan Through its AR Dr. Anupam Vaid Vs State of Uttarakhand पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 व 16.07.2024 के कम में संयुक्त निरीक्षण

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा.–163–770 / 2024 / 237 दिनांक 20.05.2024 के अनुकम में मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–199 / 2024 Swami Omkarananda Dharma Sansthan Through its AR Dr. Anupam Vaid Vs State of Uttarakhand पारित आदेश दिनांक 30.04.2024 व 16.07.2024 द्वारा प्रकरण, तपोवन लक्ष्मणझूला में मै0 जर्मन बेकरी की छत पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में निरीक्षण हेतु निम्न विभागों की संयुक्त समिति द्वारा निरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

1. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखंड शासन।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
3. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

तत्कम में उपरोक्त विभागों द्वारा निम्न सदस्य को नामित किया गया,

1. उपजिलाधिकारी, नरेन्द्र नगर।
2. डा0 आर0के0 चतुर्वेदी, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. श्री दरमियान सिंह असवाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखण्ड तृतीय, मुनि की रेती।

नामित सदस्यों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों द्वारा दिनांक 06.08.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित अधिकारी एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति संलग्न है। निरीक्षणानुसार विवरण निम्नानुसार है–

1. निरीक्षण के समय जर्मन बेकरी के स्वामी श्री देवराज भट्ट के प्रतिनिधि के रूप में श्री राजेश बड़ोनी व स्वामी ओमकारानन्द धर्म संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में श्री विशु जी उपस्थित थे।

2. जर्मनी बेकरी के भूतल में 02 कमरों का निर्माण तथा प्रथम तल पर जर्मन बेकरी के नाम से कॉफी शॉप तथा एक बुक स्टोर संचालित है, कॉफी शॉप में 12 टेबल है तथा दूसरी मंजिल पर योगा हॉल का निर्माण / संचालन किया जा रहा है।

3. उक्त शिकायती स्थल से जनित होने वाली घरेलू उत्प्रवाह के निस्तारण हेतु सीवर लाईन से संयोजन किया गया हैं, (संलग्नक–01) ।

4. सहायक अभियंता, सिंचाई उपखंड तृतीय, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भवन लक्ष्मण झूला के अपस्ट्रीम में स्थित है तथा गंगा नदी के 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा से बाहर है। उक्त भवन गंगा नदी के दाये किनारें पर उर्ध्वाधर चट्टान के ऊपर स्थित है, (संलग्नक–02) ।

5. सहायक अभियंता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी, नरेन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि जर्मनी बेकरी तपोवन लक्ष्मण झूला के निकट स्थित है, उक्त भवन श्री देवराज भट्ट के नाम अभिलेख में दर्ज है, के आधार पर श्री देवराज भट्ट द्वारा वर्ष 2002 में ओमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा उक्त भूमि कय की गयी, जिसका कुल क्षेत्रफल–194.88 वर्ग मीटर, जिसमें पूर्व से 12 X12 क्षेत्रफल–144.00 वर्ग फीट अर्थात् 13.

A.E.

25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रेस्ट्रारेन्ट निर्मित था। ओंमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा जिसमें जर्मन बेकरी गतिमान है, उक्त भवन के विरूद्ध जिला न्यायालय टिहरी में वाद योजित कराया गया है, जिसकी सुनवाई गतिमान है, के द्वारा जर्मन बेकरी के अवैध भवन की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा उक्त भवन की जॉच की गयी, जॉचोपरान्त पाया गया कि उक्त भवन, लक्ष्मणझूला के निकट गंगा नदी के किनारे वर्तमान में तीन तलों में निर्मित है, उक्त भवन के प्रथम भूतल पूर्व से 12 X12 क्षेत्रफल–144.00 वर्ग फीट अर्थात् 13.25 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रेस्ट्रारेन्ट निर्मित था, जिसके ऊपर भूतल एवं प्रथम तल में बुक स्टोर एवं जर्मन बेकरी संचालित है तथा सबसे ऊपर के तल पर योगा हॉल निर्मित है, जिसकी लम्बाई 19.20 मी0 एवं चौड़ाई 10.60 मी0 एवं क्षेत्रफल–203.50 वर्ग मीटर है।

उक्त भवन का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है। उक्त भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं होने से प्राधिकरण द्वारा उक्त भवन के विरूद्ध वाद संख्या–UCMS/TSN/c/0121/2024/24(1) दिनांक–24.06.2024 द्वारा वाद योजित है, जिसकी सुनवाई प्राधिकरण में गतिमान है, (संलग्नक–03)।

आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत।

(दरमियान सिंह असवाल)
सहायक अभियन्ता, सिंचाई
उपखण्ड तृतीय,
मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल

(डा0 आर0के0 चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून

(उपजिलाधिकारी)
नरेन्द्र नगर,
टिहरी गढ़वाल

मा० एन०जी०टी० में दायर वाद सं० O.A No 199/2024 के क्रम में आज दिनांक 6/8/2024 को मा० एन०जी०टी० द्वारा गठित कमेटी द्वारा ॐ नगीन केयर, लक्ष्मण झूला, Rishikesh का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित सदस्यों के नाम व हस्ताक्षर निम्नवत हैं।

क्र०सं०	नाम व पदनाम	विभाग	मो०नं०	हस्ताक्षर
1	Dr. R.K. Chaturvedi	UKPCB	9411101556	[signature]
2.	Digvijay Tiwari	DLDA Tehri	9412116822	[signature]
3.	Darmiyan Singh Aswal A.E.	I.D. N.Nagar	9410562571	[signature]
4.	Rai Singh	RI (N)	7500280714	[signature]
5	ANIL KUMAR	EO	8006101188	[signature]
6.	Kamal Kishor	DLDA Tehri	9997119856	[signature]
7	Ashish Kandal	MSSP	9411574664	[signature]
8.	Rajesh Badoni	प्रतिनिधि देवराज भट्ट जी	9412056717	[signature]
9	निधि थपलियाल	रा०उ०मि०थपोवन	7830404056	[signature]
10.	Vishnuji	(Rep.) OMKARANANDA Dipeshwar Mandir	9643524093	[signature] 06/8/24

677 28-03-2016

बिल संख्या 2023/08/0960668

उपभोक्ता संख्या RI15MRM02M21A010960668

भवन संख्या 0431/MR953

उत्तराखण्ड जल संस्थान

जल मूल्य/सीवर सीट एवं विच्छेदन नोटिस

जल संचय जीवन संचय

Muni ki Reti

[illegible]

शिकायत निवारण केन्द्र टोल फ्री न0 1800 180 4100

ऑनलाईन भुगतान हेतु विभागीय वेबसाईट

http//ujs.uk.gov.in

नाम श्री देवराज भट्ट / श्री जयवल्लभ

पता देवराज काफी कार्नर / ग्राम तपोवन

संयोजन का नाम

संयोजन की श्रेणी Low Head/DOM/15

वितरण तिथि	बिल की अवधि से	तक	माह	बिल जमा करने की अंतिम तिथि	विच्छेदन तिथि
21-11-2023	08 / 2023	11 / 2023	4	14-12-2023	02-01-2024

संयोजन का प्रकार	वार्षिक मूल्यांक दर प्रतिमाह	टोंटी की संख्या/दर प्रतिमाह	सीवर संयोजन/सीट संख्या दर प्रतिमाह	वर्तमान रीडिंग	पिछली रीडिंग	उपयुक्त जल (कुल रीडिंग)/प्रतिमाह	[illegible]
Asml							

विवरण	वर्तमान मांग	मीटर किराया	बकाया	पूर्ण योग	छूट/अग्रिम	विलम्ब शुल्क	कुल योग
जल मूल्य							
सीवर सीट	94.00		184.00	278.00			
[illegible] बैंक शुल्क							
अन्य देय							
कुल योग	94.00		184.00	278.00		12.00	290.00

[illegible] पर छूट अनुमन्य नहीं होगी। अर्थात 10,000 ली0 अधिकतम प्रतिमाह प्रेय जल खपत के ऊपर देयक पर ही अधिकतम 30 दिन के अन्तर्गत भुगतान करने पर 10% की छूट अनुमन्य होगी। देयक का भुगतान नहीं करने की स्थिति में [illegible] के लिए 1.5 % मासिक दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा। आई0 डी0 बी0 आई बैंक में भी भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

[illegible]

राजस्व अधीक्षक/बिल लिपिक

अधीशासी अभियन्ता/जलकल अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान

संलग्नक-2

प्रेषक,

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड–तृतीय
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

प्रेषित,

डा0 आर0के0 चतुर्वेदी
क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई–115 नहरू कालोनी
पर्यावरण भवन देहरादून।

पत्रांक–394/स0अ0तृ0मु0रे0/ दिनांक 06/08/2024

विषयः– दिनांक 06.08.2024 को स्थलीय निरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर के कार्यालय ज्ञाप सं0 1229/सिं0ख0न0न0/एन0जी0टी0–14/दिनांक 05.08.2024 के द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0– 199/2024 Swami Omkaranand Dharma Sansthan Through its AR Dr. Anupam Vaid Vs State of Uttarakhand and Ors. से सम्बन्धित प्रकरण पर संयुक्त निरीक्षण करने हेतु नामित किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 06.08.2024 को जर्मन बैकरी का संयुक्त निरीक्षण किया गया, निरीक्षण उपरान्त कार्यस्थल पर पाया गया कि उक्त भवन लक्ष्मण झूला के अपस्ट्रीम में स्थित है तथा गंगा नदी के 100 वर्षीय बाढ आवृत्ति की सीमा से बाहर है उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि उक्त भवन गंगा नदी के दांये किनारे पर उर्ध्वाधर चट्टान के उपर स्थित है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड–तृतीय
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

पत्रांक– /स0अ0तृ0मु0रे0/अनापत्ति/तदिनांक

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक अभियन्ता
सिंचाई उपखण्ड–तृतीय
मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल।

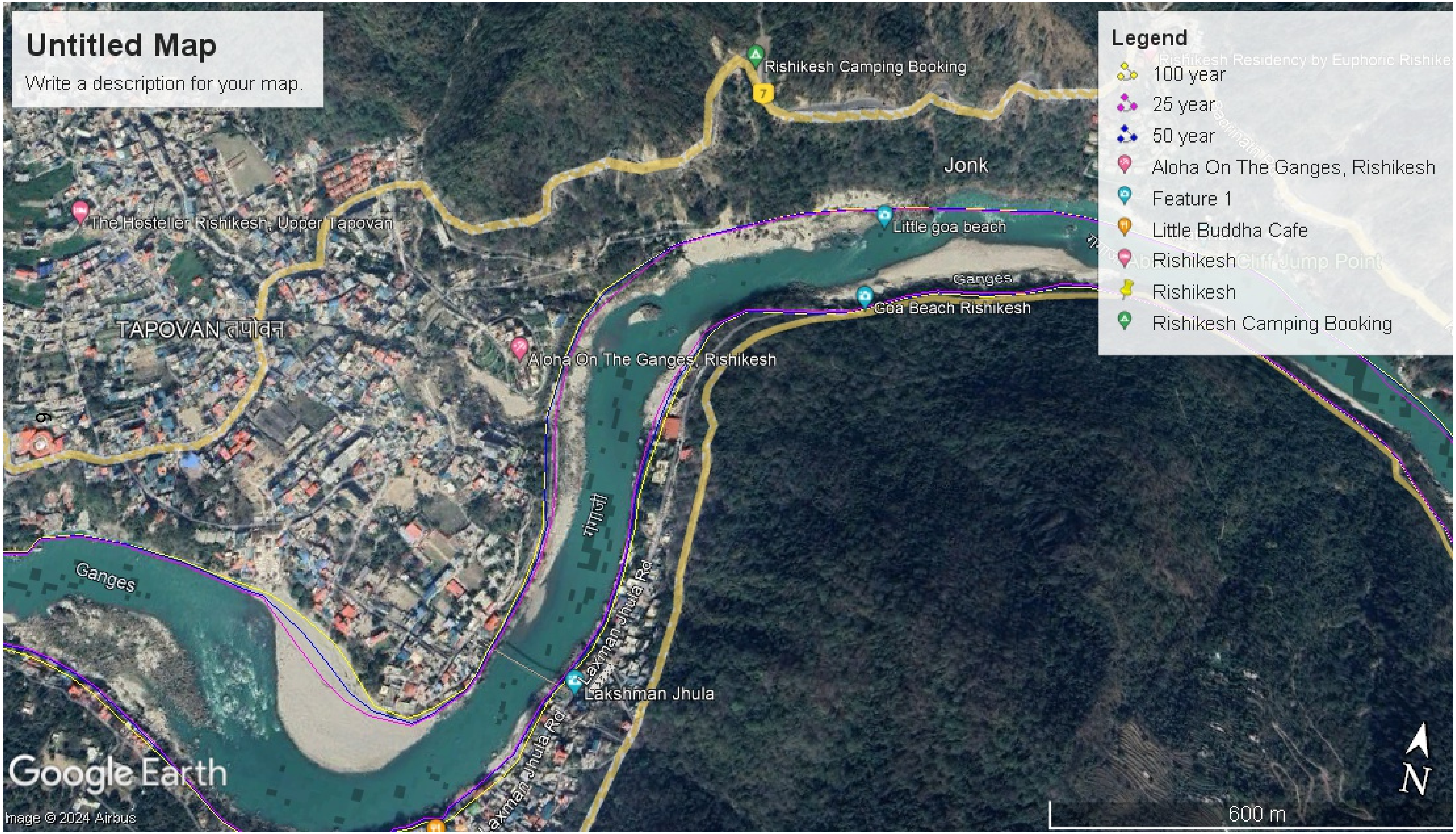

Untitled Map
Write a description for your map.
Legend
100 year
25 year
50 year
Aloha On The Ganges, Rishikesh
Feature 1
Little Buddha Cafe
Rishikesh
Rishikesh
Rishikesh Camping Booking
Rishikesh Camping Booking
Jonk
Little goa beach
Ganges
Goa Beach Rishikesh
The Hosteller Rishikesh, Upper Tapovan
TAPOVAN तपोवन
Aloha On The Ganges, Rishikesh
गंगाजी
Laxman Jhula Rd
Lakshman Jhula
Ganges
Google Earth
Image © 2024 Airbus
600 m
N

OMKARANANDA
DIPESHWAR MANDIR
NEAT & CLEAN
ROOMS
ARE AVAILABLE HERE
TRIYAMBAKAM
YOGA
TRIYAMBAKAM
YOGA
DEVRAJ COFFEE CORNER
German Bakery & Restaurant
GPS Map Camera
Rishikesh,UT,India
Lakhsman Jhula Approach Road, Tapovan,
Rishikesh, 249137, UT, India
Lat 30.126770, Long 78.329005
08/06/2024 11:55 AM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

PROPERTY
स्वामी ओंकारानन्द
GPS Map Camera
Rishikesh,UT,India
Lakhsman Jhula Approach Road, Tapovan,
Rishikesh, 249137, UT, India
Lat 30.126887, Long 78.329150
08/06/2024 11:57 AM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

GPS Map Camera
Rishikesh,UT,India
Lakhsman Jhula Approach Road, Tapovan,
Rishikesh, 249137, UT, India
Lat 30.126643, Long 78.329230
08/06/2024 11:34 AM GMT+05:30
Note : Captured by GPS Map Camera

कार्यालय
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी
पुराना जिलाधिकारी आवास, प्रथम तल, निकट बस अड्डा, नरेन्द्रनगर टिहरी गढवाल।
Website- ddatehri.in E-mail– **ddatehriuk@gmail.com**

पत्रांक : 195 / जि0स्त0वि0प्रा0 / 2024–25 दिनांक – 14.08.2024

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नेहरू कॉलोनी, देहरादून।

विषयः– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन 199 / 2024 स्वामी ओंमकारानन्दा धर्म संस्थान वर्सेज राज्य सरकार दिनांक–30.04.2024 के क्रम में मै0 जर्मन बेकरी के सम्पत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि जर्मन बेकरी, तपोवन लक्ष्मणझूला के निकट स्थित है, उक्त भवन श्री देवराज भट्ट के नाम अभिलेख में दर्ज है, के आधार पर श्री देवराज भट्ट द्वारा वर्ष 2002 में ओंमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा उक्त भूमि क्रय की गयी, जिसका कुल क्षेत्रफल–194.88 वर्ग मीटर जिसमें पूर्व से 12X12 क्षेत्रफल–144.00 वर्ग फीट अथात् 13.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रेस्ट्रोरेन्ट र्निमित था। ओंमकारानन्द धर्म संस्थान द्वारा जिसमें जर्मन बेकरी गतिमान है, उक्त भवन के विरूद्ध जिला न्यायालय टिहरी में वाद योजित कराया गया है, जिसकी सुनवाई गतिमान है, के द्वारा जर्मन बेकरी के अवैध भवन की शिकायत प्राप्त होने पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा उक्त भवन की जांच की गयी, जांचोपरान्त पाया गया कि उक्त भवन, लक्ष्मणझूला के निकट गंगा नदीं के किनारे वर्तमान में तीन तलों में र्निमित है, उक्त भवन के प्रथम भूतल पूर्व से 12X12 क्षेत्रफल–144.00 वर्ग फीट अथात् 13.25 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में रेस्ट्रोरेन्ट र्निमित था जिसके उपर भूतल एवं प्रथम तल में बुक स्टोर एवं जर्मन बेकरी संचालित है तथा सबसे उपर के तल पर योगा हॉल र्निमित है, जिसकी लम्बाई 19.20 मी0 एवं चौड़ाई 10.60 मी0 एवं क्षेत्रफल–203.50 वर्ग मीटर है उक्त भवन का निर्माण बिना मानचित्र स्वीकृति के किया गया है। उक्त भवन का मानचित्र स्वीकृत नहीं होने से प्राधिकरण द्वारा उक्त भवन के विरूद्ध वाद संख्या–UCMS/TSN/C/0121/2024/24(1), दिनांक–24.06.2024 द्वारा वाद योजित है(संलग्न)। जिसकी सुनवाई प्राधिकरण में गतिमान है।

सहायक अभियन्ता,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी,
नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल।

Uttarakhand Housing & Urban Development Authority
Department of Housing, Govt. of Uttarakhand
Rajeev Gandhi Multipurpose Complex, Dispensary Road
Dehradun – 248001 Telefax – 0135-2719500

District Level Development Authority Tehri
Old Collectorate Building Campus
Narendra Nagar, Tehri Garhwal
Email: ddatehriuk@gmail.com

कारण बताओ नोटिस

आदेश / वाद संख्या :UCMS/TSN/C/0121/2024/27(I) दिनांक: 22/06/2024

Narendranagar

श्री देवराज भट्ट,

German Bakery Restaurant, Laxman Jula, Tapovan, Tehri Garhwal.

उत्तराखंण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम , 1973 की धारा 27 (1) के अधीन नोटिस जो की आपके द्वारा उपरोक्त की धारा (14) में वर्णित आज्ञा / अनुज्ञा / स्वीकृति प्राप्त किये बिना या प्राप्त अनुज्ञा / स्वीकृति के शर्तो का उल्लंघन करते हुए (शर्तो का उल्लेख किया जाए)
मानचित्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। Ground floor Books & Bakery and First Floor yoga class. Area–203.52 वर्ग मीटर, लम्बाई–19.20, चौड़ाई–10.60 मी0

स्थल : German Bakery Restaurant, Laxman Jula, Tapovan, Tehri Garhwal.

सीमायें		
	East - 0	West - 0
	North - 0	South - 0

कार्य का विवरण दें : मानचित्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। Ground floor Books & Bakery and First Floor yoga class. Area–203.52 वर्ग मीटर, लम्बाई–19.20, चौड़ाई–10.60 मी0

का अनाधिकृत विकास कार्य / निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है / कर रहे है / पूरा कर लिया गया है। तथा जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

तथा जिसका किया जाना उपरोक्त अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दंण्डनीय अपराध भी है। अतः उपरोक्त धारा 26 के अधीन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडे बिना आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस प्राधिकरण के अधि0अभि0 / सचिव / उपाध्यक्ष कार्यालय मे दिनांक Jun 26, 2024 पूर्वाहन / अपराहन (समयः 11:00 AM) स्वंय अथवा अपने यथाविधि प्राधिकृत अपने यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर कारण बतायें तथा आवश्यक सबूत पेश करे कि आप द्वारा किया गया उपरोक्त निर्माण को ध्वस्त कर देन या अन्य तरह से हटा देने के आदेश क्यों ना दिये जाऐं।

उपाध्यक्ष / सचिव / संयुक्त सचिव / सहायक अभियंता
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी

नोटः–

१) आपका ध्यान उपरोक्त अधिनियम की धारा २६(१) की और दिलाया जाता है जिसके अधीन आप उपरोक्त कृत्य के लिए अर्थदंड के भागी भी हो सकतें है जो ५०००० (पचास हजार रूपयें) तक हो सकता है और जारी रहने वाले अपराध की दशा में अतिरिक्त अर्थ दंड जो उस प्रत्येंक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा अपराध उसके प्रथम बार दोश सिद्ध होने के पश्चात जारी रहता है २५०० (दो हजार पाच सौ रूपये) प्रतिदिन हो सकेगा के लिए दंण्डनीय हो सकता है।

2) आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा २६ (३) की ओर दिलाया जाता है जिसकी अधीन आप जैसे व्यक्ति जो उपरोक्त अधिनियम की धारा २५ के अधीन किसी भूमि या भवन में प्रवेश पाने को अधिकृत है, के प्रवेश में बाधा डालता है अथवा ऐसे प्रवेश के पश्चात ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करते है तो आप कारावास से जिसकी अवधी ६ मॉस तक हो सकती है या जुरमाना रुपये १००० (एक हजार) तक का हो सकता है अथवा दोनों के दंडनीय होंगे।

३) वादी सुनवाई में आने से पूर्व प्राधिकरण की वेब साईट https://uhuda.uk.gov.in/easeapp/ पर अपना registration करना सुनिश्चित करें।

उक्त स्थल की अद्यतन फोटो भी आपको संलग्न कर भेजी जा रही है ।

Digitally signed by Digvijay Nath Tiwari
Date: 2024.06.22 14:22:30 +05:30
Reason: Unauthorized Construction Notice
Location: Tehri